



2026:AHC:49980

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9153 वर्ष 2026

ड्रैग पाल सिंह और 5 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: सौरभ सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ताओं द्वारा यूपी जेड ए & एल आर अधिनियम, 1950 की धारा 331 की उप-धारा (3) के तहत दायर अपील संख्या सी201812000001736 में, दिनांक 15.05.2025 को अपर आयुक्त (प्रशासन), बरेली मंडल, बरेली द्वारा 'यथास्थिति' बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था। इसके बाद, यह मामला कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उपर्युक्त आदेश की अवधि नहीं बढ़ाई गई, अतः याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 02.01.2026 को उपर्युक्त अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2. एकमात्र प्रार्थना यह की गई है कि अपर आयुक्त (प्रशासन), बरेली मंडल, बरेली को निर्देशित किया जाए कि वे उपर्युक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें।

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और साथ ही न्याय के हित में, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। इसके तहत, बरेली मंडल, बरेली के अपर आयुक्त (प्रशासन) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ाने के

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन पर, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक उचित आदेश पारित करें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।